

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

पुरुषों के लिए पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती-2015

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा 08 अगस्त, 2016 से प्रारम्भ

संख्या:पीआरपीबी: एक-1(91)/2015

दिनांक:जुलाई 29, 2016

1- सूचित किया जाता है कि पुलिस आरक्षी के 23200 व आरक्षी पीएसी के 5716 पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गयी सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-एक-1(82)/2015 दिनांकित 29-12-2015 की भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों (10वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 100 अंक एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 200 अंक कुल 300 अंक) तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अधिकतम 200 अंक अर्थात् कुल 500 अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर अगले चरण की **अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा** हेतु विज्ञापित कुल रिक्तियों 28916 के सापेक्ष श्रेणीवार 1.20 गुना **कुल 35562** अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, जिसमें सभी श्रेणियों की कटऑफ पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं।

2- यदि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के उपरान्त वांछित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आवश्यकतानुसार बोर्ड द्वारा और अभ्यर्थी बुलाये जाने पर विचार किया जायेगा।

3- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट <http://prpb.gov.in> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर व जन्मतिथि का अंकन कर इसे देख सकते हैं।

4- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों के श्रेणीवार कटआफ मार्क्स इस प्रकार है:-

क्र०सं०	लम्बवत श्रेणी	कटआफ मार्क्स
1	अनारक्षित	406.60
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	398.23
3	अनुसूचित जाति	380.87
4	अनुसूचित जनजाति	374.00

29/7/16

क्र०सं०	क्षैतिज श्रेणी	कटआफ मार्क्स
5	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	311.93
6	भूतपूर्व सैनिक	312.97
7	होमगार्ड	312.10

5- यद्यपि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की इस सूची को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही कोई त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

6- बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना/विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी-एक-1(82)/2015 दिनांकित 29-12-2015 में दी गयी प्रक्रिया के अनुरूप अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा प्रदेश के 17 केन्द्रों-पुलिस लाइन मुरादाबाद, झांसी, बरेली, वाराणसी, मिर्जापुर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, बस्ती, आगरा, लखनऊ, गोण्डा, कानपुर नगर, सुलतानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर व आजमगढ़ में दिनांक 08 अगस्त, 2016 से प्रारम्भ होगी।

7- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट <http://prpb.gov.in> पर दिनांक 29-07-2016 से उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो मुद्रित नहीं है, वे निर्धारित रिक्त स्थान पर अपनी एक फोटो चस्पा कर एवं राजपत्रित अधिकारी से उसे प्रमाणित कराकर लायेंगे।

8- अतः बुलाये गये अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र के साथ नियत दिनांक एवं समय पर निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

9- अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों का मिलान उसके आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा। अतः अभिलेखों की संवीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अंकित अपनी शैक्षिक अर्हता, आरक्षण, अधिमानी अर्हता आदि प्रविष्टियों के मिलान हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र एवं जमा करने के लिए इन प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक-एक छायाप्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख ठीक पाये जायेंगे, वे ही शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

10- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल होने का अर्थ यह न होगा कि अभ्यर्थी का चयन हो गया है। अभ्यर्थी का चयन अन्तिम श्रेष्ठता सूची पर ही

28/1/16

निर्भर करेगा जो उसके चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं 10वीं तथा 12वीं की अंक तालिकाओं के सत्यापन के अधीन होगा।

11— कोई अभ्यर्थी जो अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जायेंगे, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं इसके उपरान्त किसी प्रकार की कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

12— यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

29/1/2025

अपर सचिव (भर्ती)
उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।